



## षोडश बिहार विधान सभा

### चतुर्थ सत्र

### ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचनायें बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-01.12.2016 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4

1. श्री सुदामा प्रसाद,  
स०वि०स०

“15 नवम्बर से बिहार में धान क्रय केन्द्रों को चालू कर किसानों से धान खरीद करनी थी, लेकिन क्रय केन्द्रों पर ताले लटक रहे हैं। रब्बी की बुआई के लिए जरूरतमंद किसान कम कीमत पर बिचौलियों के हाथों अपना धान बेचने के लिए मजबूर हो रहे हैं। धान का समर्थन मूल्य भी उनके लागत (1600 रु० प्रति क्विंटल) से कम है।

सहकारिता

अतः किसान हित में धान का समर्थन मूल्य 2500 रु० प्रति क्विंटल करने, राज्य सरकार द्वारा धान खरीद पर 500 रु० का बोनस देने तथा तत्काल क्रय केन्द्रों को चालू कर बिना कागजी खानापुरी के बटाईदारों सहित सभी किसानों से उनके सम्पूर्ण धान की खरीद के लिए मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।”

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4

2. श्री रामसेवक सिंह,  
स०वि०स०  
श्री रमेश सिंह कुशवाहा,  
स०वि०स०  
श्री रतनेश सादा,  
स०वि०स०  
श्री अनिरुद्ध प्रसाद यादव,  
स०वि०स०

“पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना के राज्यादेश संख्या-6एस०एस०(6)42/2014-8817, दिनांक-14.09.2016 के द्वारा जीविका के माध्यम से समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना अन्तर्गत 2016-17 में कुल 9.96 करोड़ (नौ करोड़ छियानवे लाख) रूपये की योजना स्वीकृत की गई है, जिससे 8300 अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति परिवारों (अनुसूचित जाति-6500, अनुसूचित जनजाति-1800, कुल-8300 परिवार) के बीच उन्नत नस्ल की तीन बकरियों का निःशुल्क वितरण किया जाना है। अबतक राशि जीविका को उपलब्ध नहीं कराई गयी है, जबकि वित्तीय वर्ष 2016-17 में मात्र चार माह शेष है। स्वीकृत राशि जीविका को उपलब्ध कराने के पश्चात् राज्य के सभी प्रखण्डों में इस योजना का कार्यान्वयन किया जाना है।

पशु एवं मत्स्य संसाधन


अतः इस योजना के शीघ्र कार्यान्वयन हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।”

राम श्रेष्ठ राय  
सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-32/16-3591-3604 / वि०स०, पटना, दिनांक-30 नवम्बर, 2016 ई०।

प्रति:- बिहार विधान सभा के सदस्यगण / मुख्य मंत्री / उप मुख्यमंत्री / मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना / संसदीय कार्य विभाग / सहकारिता विभाग तथा पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।




(प्रदीप कुमार राय)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-32/16-3591-3604 / वि०स०, पटना, दिनांक-30 नवम्बर, 2016 ई०।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं प्रशाखा पदाधिकारी, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित।



(प्रदीप कुमार राय)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

